

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक २२४२ / अलीगढ़ / 13285 / 2015, अलीगढ़: दिनांक: दिसम्बर, 13, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

साउथ-ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा 400 के०वी० डबल सर्किट मैनपुरी-अलीगढ़ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 है० आरक्षित व 0.0276 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू०पी०/04-99/2016/एफ०सी०/497 दिनांक 14.09.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 1005/मैनपुरी-अलीगढ़ लाइन (समेकित)/13285/2015 दिनांक 16.09.2022

महोदया,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा साउथ-ईस्ट यू०पी० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा 400 के०वी० डबल सर्किट मैनपुरी-अलीगढ़ द्विपथ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8354 है० आरक्षित व 0.0276 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन कुल 3.177404 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में एवं 12 कॉलम की सूचना संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

Condn No.	Conditions	State of Compliance																				
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (3.177404×2= 6.354 है०) अर्थात् 6.354 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को संशोधित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर (3.177404×2= 6.354 है०) अर्थात् 6.354 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागवार निम्न प्रकार ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा की गयी है-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>प्रभाग का नाम</th> <th>क्षेत्रफल (है०)</th> <th>जमा धनराशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>अलीगढ़.</td> <td>1.863</td> <td>10,32,900</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>हाथरस</td> <td>0.8544</td> <td>10,15,300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>एटा</td> <td>0.46</td> <td>6,51,200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग</td> <td>3.177404</td> <td>26,99,400</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है०)	जमा धनराशि	1	अलीगढ़.	1.863	10,32,900	2	हाथरस	0.8544	10,15,300	3	एटा	0.46	6,51,200	योग		3.177404	26,99,400
क्र.सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है०)	जमा धनराशि																			
1	अलीगढ़.	1.863	10,32,900																			
2	हाथरस	0.8544	10,15,300																			
3	एटा	0.46	6,51,200																			
योग		3.177404	26,99,400																			
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को संशोधित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में पारेषण लाइन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि प्रभागवार निम्न प्रकार ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा की गयी है-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>प्रभाग का नाम</th> <th>क्षेत्रफल (है०)</th> <th>जमा धनराशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>अलीगढ़.</td> <td>1.863</td> <td>13,40,260</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>हाथरस</td> <td>0.8544</td> <td>16,39,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>एटा</td> <td>0.46</td> <td>11,36,400</td> </tr> <tr> <td colspan="2">योग</td> <td>3.177404</td> <td>41,15,660</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है०)	जमा धनराशि	1	अलीगढ़.	1.863	13,40,260	2	हाथरस	0.8544	16,39,000	3	एटा	0.46	11,36,400	योग		3.177404	41,15,660
क्र.सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है०)	जमा धनराशि																			
1	अलीगढ़.	1.863	13,40,260																			
2	हाथरस	0.8544	16,39,000																			
3	एटा	0.46	11,36,400																			
योग		3.177404	41,15,660																			

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि प्रभागवार निम्न प्रकार ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा की गयी है-

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है०)	जमा धनराशि
1	अलीगढ़.	1.863	11,66,238
2	हाथरस	0.8544	5,34,855
3	एटा	0.46	3,36,812
योग		3.177404	20,37,905

3(ख) इसके उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि, एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, पारेशन लाइन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण एवं पैनल्टी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन में धनराशि जमा कर, Payment History की प्रति संलग्न है जिसमें धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि, एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, पारेशन लाइन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण एवं पैनल्टी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) संलग्न है। (संलग्नक-1)

3(ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र (सक्षत स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य होने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)

4 विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य होने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)

5 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

जिलाधिकारी, अलीगढ़ महोदय द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)

प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुपालन में Penal NPV की धनराशि जमा कराई जाये।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुपालन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप निर्धारित Penal NPV की धनराशि प्रभागवार निम्न प्रकार ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा की गयी है-

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल (है०)	जमा धनराशि
1	अलीगढ़.	1.863	4,66,495
2	हाथरस	0.8544	2,13,942
3	एटा	0.46	1,34,812
योग		3.177404	8,15,162

CA amount as per proposal	2129625.00
CA amount deposited	2699400.00
Difference in amount	569775.00
Reason for difference	Due to increase in the labour rates and material rates from 2017 to 2022. Hence amount deposited for CA has been increased.
Dwarf Plantation (Medicinal Plantation) as per proposal	3301000.00
Dwarf Plantation (Medicinal Plantation) deposited	4115660.00
Difference in amount	814660.00

Reason for difference	Due to increase in the labour rates and material rates from 2017 to 2022. Hence amount deposited for medicinal and dwarf plantation has been increased.
NPV amount as per proposal	2037905.00
NPV amount deposited	2037905.00
Difference in amount	0
Reason for difference	-
Penal NPV amount as per proposal	0
Penal NPV amount deposited	8,15,162.00
Difference in amount	8,15,162.00
Reason for difference	Since violation of Forest Conservation Act, 1980 has been done after grant of In-principle approval. Hence Penal NPV proposed in the proposal is zero.
Any other amount deposited- (Complete details be provided)	Name of Bank- State Bank of India UTR No. - SBINR52022101810341988 Date: - 18.10.2022 Amount- 96,68,127.00 Detailed Information on Column 12 Table (संलग्नक-5)
CAMPA confirmation	Not required due to deposition of amount by e-payment process/e-challan.

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
3/12/22
(दिवाकर कुमार विशिष्ट)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (उ०प्र० कैम्पा), लखनऊ को Online Payment History की छायाप्रति सहित। संलग्नक 12 कॉलम की सूचना।
2. जनरल मैनेजर, साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०, ऑफिस नं० 116, प्रथम तल, लेवाना साइबर हाइट्स, इन्द्रा गांधी प्रतिष्ठान के पीछे, बिभूति खण्ड, लखनऊ-226010।

3/12/22
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।



SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Shalimar Titanium, 4th Floor, Office No. 409,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seupptcl.com; website-www.seupptcl.com

पत्रांक : SEUPPTCL/LKO/2022/111

दिनांक : 01/11/2022

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
अलीगढ़ (उ०प्र०)


विषय : साउथ - ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 400 के० वी० डबल सर्किट मैनपुरी - अलीगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा में 0.46 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष पातन, अलीगढ़ में 1.8254 हे० आरक्षित व 0.0276 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 02 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.8544 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 80 वृक्षों के पातन, कुल 3.177404 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमति।

- सन्दर्भ: 1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8 बी/यू. पी. /04/99/2016/एफ. सी./570 दिनांक 21/03/2017
- 2) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू० पी० /04-99 / 2016/ एफ० सी० / 497 दिनांक 14.09.22.
- 3) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 1005 / मैनपुरी - अलीगढ़ लाइन (समेकित) /13285 / 2015 दिनांक 16.09.22
- 4) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 1494 / 14-10, अलीगढ़ : दिनांक : अक्टूबर, 14 - 2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में आप को अवगत कराना है कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के द्वारा प्रयोज्य एजेसी को निर्गत मांग पत्रों के अनुसार मांगी गयी कुल धनराशि रुपये 9668127/- (रूपये छियानबे लाख अरसठ हजार एक सौ सत्ताईस मात्र) का भुगतान चालान संख्या 6413285848 दिनांक 17/10/2022 द्वारा कैम्पा अकाउंट संख्या 15090641552098, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, आई० एफ० एस० सी० कोड - UBIN0903710 में RTGS के द्वारा जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52022101810341988 दिनांक 18.10.2022 है। भुगतान कि गयी राशि का विवरण निम्नलिखित है-

क्रम	प्रभाग का नाम	मांग पत्र संख्या	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित धनराशि (रूपये में)	बोने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण हेतु वांछित धनराशि (रूपये में)	एन० पी० वी० हेतु वांछित धनराशि (रूपये में)	दंडात्मक एन० पी० वी० हेतु वांछित धनराशि (रूपये में)	योग
1.	अलीगढ़	1494/14-10, अलीगढ़:दिनांक: अक्टूबर, 14 - 2022	10,32,900	13,40,260	11,66,238	4,66,495	40,05,893
2.	हाथरस	1019/14-1 दिनांक 01.10.2022	10,15,300	16,39,000	5,34,855	2,13,942	34,03,097
3.	एटा	755/14-1 दिनांक 12.10.2022	6,51,200	11,36,400	3,36,812	1,34,725	22,59,137
कुल योग			26,99,400	41,15,660	20,37,905	8,15,162	96,68,127




SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Shalimar Titanium, 4th Floor, Office No. 409,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No. U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

उपरोक्त के क्रम एवं संदर्भित पत्रांक 8बी / यू०पी०/04/99/2016/एफ० सी० /570 दि० 21-03-2017 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित विन्दुओं / शर्तों की अनुसार अनुपालन आख्या एवं वांछित सूचनार्थे 05 प्रतियों में प्रस्तुत है :-

क्रम संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित विन्दु / शर्तें	अनुपालन आख्या
01.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (हे०) अर्थात् 6.354 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कि जायेगी।	दिनांक 18.10.2022 को कैम्पा अकाउंट में जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52022101810341988 है। विवरण संलग्न है।
02.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारिषण लाइन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं १० वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कि जायेगी।	दिनांक 18.10.2022 को कैम्पा अकाउंट में जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52022101810341988 है। विवरण संलग्न है।
03. क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय के रिट पेटिशन (सिविल) २०२ / १९९५ के अंतर्गत आई० ए० संख्या ५६६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३ /२००७ एफ० सी० दिनांक ०१.०१.२००९ के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन० पी० वी०) कि निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कि जाएगी।	दिनांक 18.10.2022 को कैम्पा अकाउंट में जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR52022101810341988 है। विवरण संलग्न है।
03. ख	इसके उपरांत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कि गयी धनराशि कि ऑनलाइन ई० - रशीद कि छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि क मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन० पी० वी० की धनराशि क विवरण, पारिषण लाइन के नीचे बौने पौधों के वृक्षारोपण हेतु दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	जमा की गयी धनराशि की रसीद संलग्न है।
03. ग	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे की "यदि एन०पी० वी० के दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।"	पांच मूल प्रतियों में संलग्न है।
04.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि "विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जाएगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी। "	पांच मूल प्रतियों में संलग्न है।
05.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि "प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। "	पांच मूल प्रतियों में संलग्न है।




SOUTH EAST U.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

Shalimar Titanium, 4th Floor, Office No. 409,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
CIN No.U40105UP2009PLC038216
e-mail- Info@Seuptcl.com; website-www.seuptcl.com

उक्त प्रकरण में परीक्षण लाइन निर्माण के अंतर्गत जनपद अलीगढ़, हाथरस एवं एटा वन प्रभाग में बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सम्बंधित वन प्रभाग में जमा करने के लिए निम्नलिखित विवरण के साथ प्रस्तुत है :-

क्रम संख्या	जिसके पक्ष में	धनराशि (रुपये)	बैंक ड्राफ्ट संख्या / दिनांक	निर्गत करने वाला बैंक
01.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़	20	833613 / 29-10-2022	SBI
02.	प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस	800	833622 / 31-10-2022	
03.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा	30	833615 / 29-10-2022	

अतः आप से निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव को अग्रिम कारवाही हेतु अग्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय


संजय कुमार सिंह

महाप्रबंधक - परीक्षण

साउथ ईस्ट उ० प्र० पॉवर ट्रांसमिशन क० लि०



संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि :

- 1) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को विषयक क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3) प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परियोजना का नाम: 400 kV द्विपथ मैनपुरी - अलीगढ विद्युत पारेषण लाइन

(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/13285/2015)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

मैं, संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक - पारेषण लाइन, साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि, साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, क़ानून व दिशा निर्देशों के पालन करने के लिए वचनबद्ध है।

संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - पारेषण



प्रतिहस्ताक्षरित

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,

Social Forestry Division, Aligarh

Date 13/12/2022


परियोजना का नाम: 400 kV द्विपथ मैनपुरी - अलीगढ़ विद्युत पारेषण लाइन

(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/13285/2015)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

मैं, संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक - पारेषण लाइन, साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8 बी/यू. पी. /04/99/2016एफ. सी./570 दिनांक 21/03/2017 के माध्यम से प्राप्त सैधान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या 3 (ग) के अनुपालन में, भविष्य में सक्षम स्तर से यदि एन० पी० वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो, साउथ ईस्ट यू० पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बड़ी हुई धनराशि का भुगतान करने की लिए वचनबद्ध है एवं इस सम्बन्ध में मेरी संस्था को कोई आपत्ति नहीं होगी।

संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - पारेषण लाइन*



प्रतिहस्ताक्षरित

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 13/12/2022

परियोजना का नाम: 400 kV द्विपथ मेनपुरी - अलीगढ विद्युत पारेषण लाइन

(Forest Proposal No.: FP/U.P./TRANS/13285/2015)

सीमांकन करने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र


मैं, संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक - पारेषण लाइन, साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्रों का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन साउथ ईस्ट उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जाएगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखा जाएगा।


संजय कुमार सिंह
महाप्रबंधक - पारेषण



प्रतिहस्ताक्षरित

Countersigned


(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,

Social Forestry Division, Aligarh

Date .13/12/2022

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-10-2022

Agency Name.	SOUTH EAST UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
Application No.	6413285848
MoEF/SG File No.	8B/UP/04/99/2016/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomati Nagar Lucknow
Amount(in Rs)	9668127/-

Amount in Words :Ninety-Six Lakh Sixty-Eight Thousand One Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906413285848 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-10-2022

Agency Name.	SOUTH EAST UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED
Application No.	6413285848
MoEF/SG File No.	8B/UP/04/99/2016/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Shalimar Titanium, 601-602, 6th Floor, Plot No. TC/G-1/1, Vibhuti Khand, Gomati Nagar Lucknow
Amount(in Rs)	9668127/-


Amount in Words :Ninety-Six Lakh Sixty-Eight Thousand One Hundred and Twenty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150906413285848 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank



Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 13/12/2022

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Paid : This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Online Help Paid Unpaid All


Bank Name : Mode of Payment :

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE (In Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/TRANS/13285/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/TRANS/13285/2015) 400 KV D/C Mainpuri - Aligarh Transmission Line	TRANS132852015848	21 Mar 2017	CA: 2699400/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- Dwarf NPV: 2037905/- Tree 4115660/- Plantation : N.P.V. Penalty 819161/- Total : 9668127/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 17 Oct 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Oct 2022 Transaction Date : 18 Oct 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/141020221708090466_FPUPTRANS13285201 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=TRANS1




(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

my GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

King

Countersigned

(Diwakar Kumar Vashishth)
Divisional Director,
Social Forestry Division, Aligarh
Date 13/12/2022